

3

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
ज्ञापन

क्रमांक 53 /1485/1(3)/70 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 1971
प्रति,

शासन के सप्रस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, प्र० प्र०
स प्रस्त सहायक
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त कलेक्टर
मध्य प्रदेश ।

विषय :- शासकीय सेवकों द्वारा प्रस्तुत अचल संपत्ति पत्रकों के संबंध में ।

==X==

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 1987/सी०आर०
562/1(3)/70 दिनांक 23 सितंबर, 1970 में जारी किये गये आदेशों को कृपया
देखें । इस ज्ञापन के अनुक्रम में राज्य शासन द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि
शासकीय सेवकों से प्राप्त अचल संपत्ति के सप्रस्त वार्षिक पत्रकों को संबंधित कर्मचारी के
सर्विस रिकार्ड के साथ रखा जावे जिससे कि यह पत्रक व्यवस्थित रखे जाकर आवश्यकता
पड़ने पर सुलभता से उपलब्ध हो सके । शासकीय सेवक का स्थानांतर होने पर यह
पत्रक भी सर्विस रिकार्ड के साथ, उसके नये कार्यालय को भेज देना चाहिये ।

(मु० वि० गर्दे)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 54 /1485/1(3)/70 भोपाल, दिनांक 27 जनवरी, 1971

प्रतिलिपि :-

- 1- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश, इन्दौर
- 3- सचिव, सतर्कता आयोग, मध्य प्रदेश, भोपाल
- 4- राज्यपाल के सचिव/ सैनिक सचिव, मध्य प्रदेश भोपाल
सचिव, विधान सभा सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
- 5- स्थापना अधिकारी / लेखाधिकारी / रजिस्ट्रार, मध्य प्रदेश सचिवालय, भोपाल
- 6- मुख्य मंत्री/ मंत्री / राज्य मंत्रियों के निजी सचिव,
उप मंत्रियों के निजी सहायक, संसदीय सचिव के निजी सहायक
को सूचनाय अग्रोषित ।

उप सचिव